

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

रीडर/2017/2557

दिनांक - 17/11/17

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1 जुम्मा 2 सखी 3 गुला 4 खमीसा  
पिरारान कासम 5 हारून 6 गीयण 7  
कासम 8 अकबरअली पिरारान  
सुरतान जाति मुसलमान निवासी  
गुडीसर (भादरेश) तहसील व जिला  
बाड़मेर।

1 कमाल पुत्र ईसमाइल 2 अलाववाय पुत्र  
विलास 3 मठार पुत्र हुसैन 4 राफह पुत्र  
सुराब 5 राज पुत्र सुमार 6 मुमल पत्नी  
सुलतान मुसलमान निवासी गुडीसर  
तहसील व जिला बाड़मेर 7 तहसीलदार  
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 244/2017

दिनांक- 17/11/17

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा गुडीसर पटवार क्षेत्र भादरेश तहसील व जिला बाड़मेर के  
खसरा संख्या 77, 78, 91, 481/79, 479/79 रकबा क्रमशः 02.05, 63.09, 0.05, 16.11.0.  
02 कुल रकबा 82.12 भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने  
हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई  
करने से पूर्व प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक  
तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत  
राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की  
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच  
सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 17/11/17

क्रमांक :- रीडर/2017/2558-6।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भादरेश तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. जुम्मा पुत्र कासम वगैराह जाति मुसलमान निवासी गुडीसर (भादरेश) तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी कमाल पुत्र ईसमाइल वगैराह जाति मुसलमान निवासी गुडीसर (भादरेश) तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर